

पूर्वोत्तर रेलवे
आवश्यक सूचना

अधिसूचना सं०-का/227/री.इंगेज/निर्माण संगठन दिनांक 10.01.2018 द्वारा मासिक पारिश्रमिक आधार पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को कार्य पर लगाये जाने हेतु 83 (तिरासी) पदों की अधिसूचना जारी हुई है। अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष तथा आवेदन की अंतिम तिथि 31-01-2018 तक निर्धारित है। पूर्ण विवरण वकाधि/निर्माण/गोरखपुर कार्यालय एवं पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट w.w.w.ner.indian railway.gov.in पर उपलब्ध है।


वकाधि/निर्माण
कृते मुप्रअ/निर्माण/गोरखपुर

**पूर्वात्तर रेलवे
अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०.ई (एन०जी०) ११/२०१०/आरसी-४६ दिनांक २७-०९-२०१२, १७.१०.२०१४, ३१.०८.१५, ०७-१०-२०१६, १६-१०-१७ एवं १२-१२-१७ में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्माण संगठन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर रीइंगेज करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०सं०	पदनाम	रिक्त पदों की सं०
१	एसएसई/जेड/कार्य	१८
२	एसएसई/ड्राइंग	०४
३	एसएसई/पुल	०१
३	मुख्य कार्याधी	०२
४	वरिष्ठ लिपिक/लिपिक	०२
५	गोपनीय सहायक	१९
६	आशुलिपिक	३७
	योग-	८३

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों से रीइंगेज करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत होगी:-

१. इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि १०-०१-१८ को आवेदक की उम्र ६५ वर्ष से कम होनी चाहिये।
२. चयनित कर्मचारियों का रीइंगेजमेंट का कार्यकाल उनकी आयु ६५ वर्ष होने तक मान्य होगी।
३. रीइंगेजमेंट के समय कर्मचारियों को विविक्तस्थीय रूप से फिट होना चाहिये।
४. रीइंगेजमेंट कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक व भत्ते, रेलवे बोर्ड के पत्र सं०.ई(एन०जी०) ११/२००७/आर सी-४/कार/१ नई दिल्ली दिनांक १६-१०-१७, एवं समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे।
५. रीइंगेजमेंट किये गये भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस समाप्त की जा सकती है।
६. अधिसूचना जारी करने की तिथि के पूर्व प्रेषित/प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
७. मासिक पारिश्रमिक दर पर कार्य पर रखे जाने वाले इन मामलों के लिये अधिसूचना जारी करने पर प्रशासनिक निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
८. वकाधि/निर्माण/गोरखपुर के कार्यालय में इसके लिये एक बाक्स भी रखा गया है, जिसमें भी आवेदन डाला जा सकता है। वह बाक्स मान्यता प्राप्त युनियन के प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
९. रिक्त के अनुसार संबंधित केंद्र के रेल सेवक ही आवेदन कर सकते हैं।
१०. इसके लिये स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
११. यह स्कीम ०१-१२-२०१९ तक वैध होगी, तत्सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।
१२. आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

अतः दिनांक ३१-१२-१७ तक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो निर्माण संगठन में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र (सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र के साथ) दिनांक ३१-०१-१८ तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/गोरखपुर को प्रेषित करेंगे।

संलग्नक/यथोपरि

(प्रदीप कुमार)

वकाधि/निर्माण

कृते मुप्रअ/निर्माण/गोरखपुर

दिनांक १०-०१-१८

सं०.का/२२७/री.इंगेज/निर्माण संगठन/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- १-मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, पूउरे, गोरखपुर-कृपया उक्त अधिसूचना को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचित कराने की व्यवस्था करें।
- २-सचिव/मुप्रअ/निर्माण/गोरखपुर,
- ३-नोटिस बोर्ड, मुप्रअ/नि०/गोरखपुर
- ४-मुकाधि/पूउरे, गोरखपुर
- ५-महामंत्री/नरमू, अ.जा./अ.ज.जा./एशो.गोरखपुर
- ६-उमुई/नि०/पूर्व, मुख्या०, निगो एवं अभि०, सामान्य, रेलपथ, पुल/गोरखपुर, वाराणसी-१, वाराणसी-११, लखनऊ, इज्जतनगर
- ७-मुसिदई/नि०, उप मुसिदई/नि०/गोरखपुर, मुख्यालय/गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, इज्जतनगर
- ८-उमुविई/नि०, उमुसाप्र/नि०, उप मुपरि०, प्र./नि०, कापाइ/नि०/सर्वे, कापायाई/नि०/गोरखपुर
- ९-सकाधि/आई०टी०/पूर्वात्तर रेलवे, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- १०-विसमुलेधि एवं विसमुलेधि/नि०/गोरखपुर

कृते मु०प्र०अ०/निर्माण/गोरखपुर १८

पूर्वोत्तर रेलवे -निर्माण संगठन (कार्मिक शाखा)

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०.ई (एन०जी०) ११/२०१०/आरसी-४६ दिनांक २१-०९-२०१२, १७.१०.२०१४, ३१.०८.१५, ०७-१०-२०१६, १६-१०-१७ एवं १२-१२-१७ में निहित निर्देशानुसार सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक आधार पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

संदर्भ:- मुप्रअ/निर्माण/पूउरे, गोरखपुर का अधिसूचना सं०-का/२२७/रिङगेज/निर्माण संगठन /दिनांक २०-०१-२०१८

१.	नाम:		नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो
२.	पिता का नाम:		
३.	जन्म तिथि:		
४.	सेवा निवृत्ति के समय पद:		
५.	आवेदित पद:		
६.	कार्यालय जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं:		
७.	सेवा निवृत्ति की तारीख:		
८.	वेतनमान एवं ग्रेड पे:		
९.	अंतिम मूल वेतन:		
१०.	पेंशन की रकम :		
११.	पत्राचार का पता:		
१२.	सम्पर्क नम्बर(मोबाइल):		
१३.	संलग्नक हाँ/नहीं	१.सेवा प्रमाण पत्र	
		२.पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)	
		३.अंतिम वेतन प्रमाण पत्र	
१४.	किस शाखा में पुनर्नियोजित होना चाहेंगे?		

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात रेलवे बोर्ड/मु०प्र०अ०/निर्माण/गोरखपुर के द्वारा समय- समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूंगा।

दिनांक

हस्ताक्षर-.....

पता-.....

नाम.....

मोबाइल नं०-.....